अभियोजन साक्षी क्रमाँक 07 एन.डी.पी.एस. प्रकरण क्रमाँक – 34/2022

शासन विरूद्ध अभिषेक गुप्ता

साक्षी क्रमाँक 07 तरफ से अभियोजन पक्ष की

दिनाँक– 29.01.2025 को ली गई, शपथपूर्वक हलफ से

मेरा नाम– ढाल सिंह बिसेन पिता का नाम– श्री नेमीचंद बिसेन

उम्र– करीब 58 वर्ष पेशा– नायब तहसीलदार

पता– तहसील कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

शपथपूर्वक –

समय–11.30 बजे से

//मुख्य परीक्षण द्वारा श्री प्रकाश वर्मा विशेष लोक अभियोजक//

01. मैं मई 2022 से वर्तमान तक तहसील कार्यालय दुर्ग में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूँ ।

02. दिनाँक 02.11.2022 को थाना सिटी कोतवाली दुर्ग के आरक्षक द्वारा मुझे तहसील कार्यालय दुर्ग में लाकर एक तहरीर दी गई थी जिसके अनुसार थाना सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस के द्वारा घटनास्थल नया बस स्टैण्ड दुर्ग रैन बसेरा के पास तीन आरोपीगणों से मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था, जिससे संबंधित कार्यवाही में शामिल होने के लिए मुझे बुलाया गया था । उक्त तहरीर प्राप्त कर मेरे द्वारा उसी आरक्षक को पावती प्र.पी. 41 दी गई थी जिसके अ से अ भाग पर तहसील कार्यालय दुर्ग के रीडर के हस्ताक्षर हैं।

03. उसके पश्चात मैं अपने वाहन से आरक्षक के मोटरसायकल के पीछे–पीछे घटनास्थल नया बस स्टैण्ड रैन बसेरा के पास पहुँचा था । जब मैं घटनास्थल पहुँचा तब

वहाँ कुछ पुलिसवाले तथा स्वतंत्र गवाह एवं तीन आरोपी एवं तौलक उपस्थित थे । उसके पश्चात वहाँ उपस्थित संदेही अभिषेक कुमार गुप्ता का दो गवाहों सुरेन्द्र ढीमर व भरत पटेल के समक्ष तलाशी संदेही के सहमति प्राप्त करने के पश्चात जामा तलाशी ली गई । संदेही अभिषेक कुमार गुप्ता के कब्जे से एक काले रंग की बैग जिसके सामने भाग में अंग्रेजी में HP लिखा हुआ है जिसमें चार चैन लगे हुए थे, सामने से तीसरे चैन के अंदर दो पैकेट खाखी रंग के टेप में लपेटा हुआ मादक पदार्थ गांजा मिला । उसके पश्चात तलाशी पंचनामा प्र.पी. 13 बनाया गया जिसमें दोनों गवाहों के हस्ताक्षर एवं आरोपी अभिषेक कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर और जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

04. उसी प्रकार दूसरे आरोपी मनीष गुप्ता की तलाशी गवाहों के समक्ष मेरे द्वारा ली गई । आरोपी मनीष गुप्ता के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक का थैला जिसके अंदर एक खाखी रंग के टेप में लपेटा हुआ मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी तलाशी पंचनामा की कार्यवाही की गई जिसमें दोनों गवाहों के हस्ताक्षर व आरोपी मनीष गुप्ता के हस्ताक्षर व ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं जो प्र.पी. 14 है ।

05. उसी प्रकार तीसरे आरोपी मनीष द्विवेदी की तलाशी गवाहों के समक्ष मेरे द्वारा ली गई । आरोपी मनीष द्विवेदी के कब्जे से एक भूरे रंग का गोल बैग जिसके अंदर एक पैकेट खाखी रंग के एक टेप में लपेटा हुआ मादक पदार्थ गांजा मिला । उसके पश्चात प्र.पी. 15 का तलाशी पंचनामा बनाया गया जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर साथ ही गवाहों के एवं आरोपी के हस्ताक्षर हैं ।

06. उसके पश्चात दिनाँक 02.11.2022 को तीनों आरोपीगणों से मादक पदार्थ गांजा मिलने से बरामदगी पंचनामा प्र.पी. 16, 17 एवं प्र.पी. 18 दोनों गवाहों के एवं

आरोपीगणों के हस्ताक्षर कर व मेरे स्वयं के हस्ताक्षर प्र.पी. 16, 17 व 18 के ब से ब भाग पर मेरे द्वारा किये गये हैं । उसके पश्चात तीनों आरोपीगणों से बरामद मादक पदार्थ गांजा को दो गवाहों के समक्ष मेरे द्वारा रकड़कर सुंघकर देखा गया जिसमें गवाहों के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी मादक पदार्थ गांजा के रूप में पहचान किया गया उसके पश्चात मेरे समक्ष मादक पदार्थ का पहचान पंचनामा प्र.पी. 19 तैयार किया गया जिसमें दोनों गवाहों के, सभी आरोपीगणों के हस्ताक्षर कराये गये एवं मेरे हस्ताक्षर ब से ब भाग पर हैं ।

07. उसके पश्चात दिनाँक 02.11.2022 को सभी आरोपीगण की उपस्थिति एवं गवाहों की उपस्थिति में तौलकर्ता जगदीश सोनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन लाया गया जिसे चालू करके देखा गया, मशीन चालू हालत में पाया गया । मशीन पर 50 ग्राम बाट को रखने पर मशीन के द्वारा 50 ग्राम ही प्रदर्शित हुआ जिससे मेरे द्वारा तौल मशीन सही होने का भौतिक सत्यापन पंचनामा दोनों गवाहों के समक्ष एवं सभी आरोपीगणों व तौलकर्ता जगदीश सोनी व उपनिरीक्षक देवा दास भारती के हस्ताक्षर प्र.पी. 20 में करवाने के पश्चात मेरे हस्ताक्षर स से स भाग पर किया गया ।

08. उसके पश्चात आरोपीगणों से बरामद मादक पदार्थ गांजा का मेरे द्वारा समरस कर समरस पंचनामा प्र.पी. 21, 22, एवं प्र.पी. 23 तैयार किया गया जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उसके पश्चात सभी आरोपीगणों से बरामद मादक पदार्थ गांजा को तौलकर्ता जगदीश सोनी के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन पर गवाहों, आरोपीगणों व पुलिस अधिकारी तथा मेरे समक्ष तौल कर तौल कार्यवाही की गई जिसमें आरोपी मनीष गुप्ता से बरामद गांजा का कुल वजन 1.590 किलोग्राम, आरोपी अभिषेक कुमार गुप्ता से बरामद गांजा का कुल वजन 2.805 किलोग्राम एवं आरोपी मनीष द्विवेदी से बरामद गांजा

का कुल वजन 1.635 किलो ग्राम था । जिसमें तीनों आरोपीगणों से बरामद गांजे के कुल वजन में से 50–50 ग्राम गांजा सैम्पल हेतु निकाले गये उसके पश्चात मेरे द्वारा गवाहों के, तौलक कर्ता व उपस्थित पुलिस अधिकारी व आरोपीगणों का हस्ताक्षर करवा कर मेरे द्वारा स से स भाग में हस्ताक्षर किया गया जो प्र.पी. 24, 25 व 26 है ।

09. उसके पश्चात मेरे द्वारा तीनों आरोपीगणों से बरामद मादक पदार्थ गांजा के कुल वजन में से 50–50 ग्राम मादक पदार्थ गांजा का परीक्षण हेतु मौके पर सीलबंद कर पंचनामा तैयार किया गया जिसमें गवाहों के आरोपी के व तौलकर्ता के हस्ताक्षर करवा कर प्र.पी. 27, 28 व 29 का पंचनामा तैयार किया गया जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उसके पश्चात उपरोक्त सैम्पल पंचनामा करने के पश्चात सैम्पल के लिये निकाले गये 50–50 ग्राम गांजा का नमूना सील पंचनामा प्र.पी. 30, 31, 32 तैयार किया गया जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती कविता गिरी गोस्वामी अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण//

10. मैं आज यह नहीं बता सकता कि आरक्षक द्वारा मुझे तहरीर किस समय लाकर दी गई, साक्षी स्वतः कहता है कि लगभग 10.30 से 10.45 बजे का समय रहा होगा । यह कहना गलत है कि प्र.पी. 41 तहरीर के अनुसार मेरे कथित घटनास्थल पहुँचने से पहले बैग खोलकर देखा जा चुका था । मैं कथित घटनास्थल लगभग 02.30 बजे पहुँचा था । मैं तहरीर प्राप्त करने के लगभग तीन सवा तीन घंटे पश्चात घटनास्थल पहुँचा था। मैं अपने निजी वाहन से कथित घटनास्थल गया था ।

11. मैं जब कथित घटनास्थल पहुँचा तब वहाँ पर लगभग दो या तीन पुलिसवाले उपस्थित थे । मैं घटनास्थल पर संपूर्ण कार्यवाही के दौरान वहाँ पर लगभग 4–5 घंटे तक

उपस्थित था । मेरे समक्ष प्र.पी. 20 की कार्यवाही लगभग 4.25 बजे हुई थी । मेरे समक्ष तौलकर्ता प्र.पी. 20 की कार्यवाही के 15–20 मिनट पहले आया था । यह कहना सही है कि कथित घटनास्थल कहाँ पर है मुझे पुलिसवालों द्वारा ही बताया गया था । मैं तहसीलदार महोदय के मौखिक निर्देश पर उक्त कार्यवाही किया था । यह कहना सही है कि पुलिसवालों द्वारा बताया गया कथित घटनास्थल एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ कई लोगों का आना–जाना लगा रहता है ।

12. यह कहना सही है कि प्र.पी. 41 में समय का उल्लेख नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि पुलिस द्वारा बताये गये घटनास्थल से कई रास्ते निकलते हैं । मेरे समक्ष प्र.पी. 16, 17, 18 की कार्यवाही लगभग 20 मिनट में हुई । मेरे समक्ष तौलकर्ता द्वारा जो मशीन लायी गई थी वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी । मेरे समक्ष मशीन का सत्यापन एक बार हुआ था, गवाह स्वतः कहता है कि 50 ग्राम का बाट रखकर देखा गया था । मेरे समक्ष प्र.पी. 20 की कार्यवाही में 05 से 10 मिनट का समय लगा था । मेरे समक्ष हुई समस्त कार्यवाहियों में पुलिस के द्वारा ही दो गवाह बुलाकर रखे गये थे । मुझे आज याद नहीं है कि मेरे कथित घटनास्थल पहुँचने से पहले गवाह वहाँ उपस्थित थे या नहीं ।

13. यह कहना सही है कि मेरे समक्ष प्र.पी. 21, 22, 23 की कार्यवाही में एक गवाह सुरेन्द्र ढीमर के द्वारा समरस कार्यवाही किया जाना लिखा है । यह कहना सही है कि प्र.पी. 21, 22, 23 में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किस आरोपी से कितनी–कितनी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर समरस किया गया है । मेरे समक्ष प्र.पी. 24, 25, 26 की कार्यवाही में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगा । मेरे समक्ष प्र.पी. 27, 28, 29 की कार्यवाही में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगा था । यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष

हुए संपूर्ण कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज घटनास्थल पर तैयार नहीं हुये हैं । यह कहना गलत है कि पुलिसवाले पूर्व से ही संपूर्ण दस्तावेज तैयार करके लाये थे । यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष प्र.पी. 27, 28, 29 में सीलबंद की कार्यवाही मेरे द्वारा नहीं की गई थी । मैं आज नहीं बता सकता कि मेरे द्वारा सीलबंद किया गया पैकेट किस चीज से सीलबंद किया गया तथा किस तरह का पैकेट था, स्वतः कहा कि सील को पुलिसवाले लाये थे व पैकेट को धागे से सीलबंद किया गया था ।

समय– 01.00 बजे तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।

सही होना स्वीकार किया गया।

SUNITA TOPPO Digitally signed by SUNITA TOPPO Date: 2025.01.29 17:53:18 +0530

(श्रीमती सुनीता टोप्पो)
विशेष न्यायाधीश,(एन.डी.पी.एस.)
जिला दुर्ग(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

SUNITA TOPPO Digitally signed by SUNITA TOPPO Date: 2025.01.29 17:53:23 +0530

(श्रीमती सुनीता टोप्पो)
विशेष न्यायाधीश,(एन.डी.पी.एस.)
जिला दुर्ग(छ.ग.)

.....

गवाह के हस्ताक्षर